निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**1 ज्येष्ठ 1935 (श0)**

**(सं0 पटना 395) पटना, बुधवार, 22 मई 2013**

सं0 3/एम0–63/2012(खंड)सा0प्र0—8025

**सामान्य प्रशासन विभाग**

————————

**संकल्प**

**21 मई 2013**

**विषयः–संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।**

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 17415 दिनांक 20.12.2012 द्वारा संविदा के आधार पर किये जाने वाले नियोजन पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी विभागों को इस संबंध में तैयार की जा रही नयी नीति की प्रतीक्षा करने का निदेश दिया गया। परन्तु उक्त रोक से सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों की संविदा नियोजन की प्रक्रिया को मुक्त रखा गया।

2. उक्त प्रसंग में सम्यक् विचारोपरांत सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति एवं संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देने का निर्णय लिया गया है –

(i) सभी विभागों के द्वारा उनके अधीन सभी पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई नियमानुसार संबन्धित आयोग (यथा बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग) के माध्यम से तुरंत प्रारंभ की जाए तथा एक वर्ष के भीतर सभी रिक्तियों को नियमित रूप से भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। संबन्धित नियमित नियुक्तियों में वर्त्तमान में अथवा पूर्व में संविदा पर कार्य कर चुके कर्मचारियों को वेटेज देने पर विचार किया जा सकता है और उनकी आयु सीमा को भी नियमानुसार शिथिल किया जा सकता है। उपर्युक्त आशय का संशोधन संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावलियों में कर लिया जाए एवं तदोपरान्त नियुक्ति हेतु अधियाचनाएँ भेजी जाएँ।

(ii) केन्द्र/केन्द्र सम्पोषित योजनाओं अथवा वाह्य वित्त सम्पोषित योजनाओं/परियोजनाओं में यदि संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है तो तद्नुसार संविदा पर नियोजन किया जा सकता है।

(iii) किसी अधिनियम/नियमावली में यदि संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है तो तदनुसार संविदा नियोजन किया जा सकता है ।

(iv) यदि किसी आयोग, निगम, निकाय एवं निबन्धित सोसाईटी इत्यादि संस्थाओं द्वारा अपनी नियुक्ति नियमावली में संविदा के आधार पर नियोजन करने का प्रावधान किया गया है तो तद्नुसार संविदा नियोजन किया जा सकता है ।

(v) उपर्युक्त कंडिका–2 (i) में उल्लिखित नियमित नियुक्तियों में लगने वाले विलम्ब को देखते हुए प्रशासनिक आवश्यकतानुसार संविदा नियोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत निदेशों के अनुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया जा सकता है, परन्तु यह नियोजन सिर्फ नियमित एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही होगा।

(vi) आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों की संविदा नियोजन की प्रक्रिया पूर्व के निर्गत संगत परिपत्रों के अनुसार की जा सकेगी ।

1. कंडिका–2 के उपर्युक्त निदेशों के साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 17415 दिनांक 20.12.2012 के द्वारा संविदा नियोजन पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त किया जाता है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाएँ।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**

बशिष्ठ सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 395-571+10-डी0टी0पी0।

**Website: http://egazette.bih.nic.in**